गाजियाबाद में कंपनी के नाम से नकली बिजली उपकरण बेचते हुए दुकानदार को पकड़ा

गाजियाबाद। खोडा के महालक्ष्मी गार्डन मंगल बाजार फेस दो में दिल्ली की टीम ने कंपनी के नाम पर नकली बिजली उपकरण बेचते हुए दुकानदार को पकड़ लिया। टीम ने छापे की कार्रवाई में दुकान से विभिन्न तरह के प्लग और सॉकेट व अन्य सामान जब्त किया है। कंपनी के अधिकृत इंचार्ज ने पुलिस को कॉपीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। दिलशाद गार्डन निवासी दीवान सिंह एक नामी कंपनी में नकली सामान बेचने वालों को पकड़ने के लिए अधिकृत अधिकारी हैं।

उन्होंने बताया कि महालक्ष्मी गार्डन मंगल बाजार रोड पर बिजली की एक दुकान में उनकी कंपनी के नाम पर नकली उपकरण बेचने की सूचना मिली थी। उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचना देकर टीम के साथ दुकान पर पहुंचकर छापे की कार्रवाई की, जिसमें थ्री पिन प्लग के 105 पीस, वन वे स्विच के 50 पीस, टू पिन सॉकेट के चार पीस, ट्विन सॉकेट के 49 पीस, ट्विन स्टेप फैन रेगुलेटर के 20 पीस, फ्रेम प्लेट के 94 पीस मिले। उन्होंने दुकानदार जावेद मलिक पर कॉपीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

Source: https://royalbulletin.in/shopkeeper-caught-selling-fake-electrical-equipment-in-company-name-in-ghaziabad/211402